कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राहत अली खॉ, 109, कंघी टोला, बरेली ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**057 / 13, 31.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री राहत अली खॉ, 109, कंघी टोला, बरेली द्वारा दिनांक 31.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि '' किसी व्यापारी द्वारा प्रथम बार समाधान योजना का विकल्प अपनाये जाने पर गत वर्ष के अन्तिम स्टाक पर RITC किया जाना विधि अनुकूल है अथवा नहीं । ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को दिनांक 29.05.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी सर्वश्री राहत अली खॉ, 109, कंघी टोला, बरेली द्वारा समाधान योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्ष के अन्तिम रहतिया पर लिये गये ITC के रिवर्स किये जाने की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है ।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त से स्पष्ट है कि ITC अथवा RITC के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) की व्यवस्था से आच्छादित नहीं है । अत: प्रार्थी द्वारा RITC की वैधता के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देय नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन

.....2

किया गया। पाया गया कि ITC एवं RITC से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 13 जून, 2014

ह0 / 13.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।